

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर ऐक्ट), अपर सत्र न्यायाधीश/  
फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय, चन्दौली।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 95 सन् 2020  
राज्य उत्तर प्रदेश प्रति सदानन्द यादव एवं एक अन्य

मु.अ.सं.-262/2018  
धारा-3(1)उ.प्र.गिरोह बन्द एवं समाज  
विरोधी क्रियाकलाप नि.अधि., 1986,  
थाना-बलुआ, जिला-चन्दौली।

**आरोप**

मैं, योगेश दुबे, विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर ऐक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश/  
फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय, चन्दौली आप अभियुक्तगण :-

सदानन्द यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव एवं विनय कुमार पुत्र दिनेश कुमार को  
निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ :-

यह कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7/86 के प्रवर्तन के  
उपरान्त अधिनियम की धारा-2(ख) के अन्तर्गत एक गिरोह बनाया है तथा अपने  
व गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आप लोग अपराध  
कारित करते हैं तथा इसी क्रम में आप अभियुक्तगण उपरोक्त ने गैंगचार्ट मे  
प्रदर्शित निम्नलिखित अपराध कारित किये हैं :-

1. मु.अ.सं. 181/2018, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु  
कूरता अधिनियम, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली।

इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो धारा  
3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम  
1986 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देशित करता हूँ कि आप लोगो का विचारण उपरोक्त आरोप  
पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक-03.09.2021 ई.

( योगेश दुबे )  
अपर सत्र न्यायाधीश/  
फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय  
विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर ऐक्ट)  
चन्दौली।

उक्त आरोप अभियुक्तगण उपरोक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया।  
अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की माँग किया।

दिनांक-03.09.2021 ई.

( योगेश दुबे )  
अपर सत्र न्यायाधीश/  
फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय  
विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर ऐक्ट)  
चन्दौली।